

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 1975/ज्येष्ठ 21, 1897

No. 198] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 1975/JYAISTHA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 11th June 1975

S.O. 261(E)/15/IDRA+75.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, No. S.O. 551(E)/15/IDRA/73, dated the 17th October, 1973, namely :—

In the said Order, (i) under the heading "Chairman", for S. No. 1 and the entry relating thereto, the following S. No. shall be substituted, namely :—

"1. Shri K. N. Ramaswamy,
Industrial Adviser,
Directorate General of Technical Development,
New Delhi."

(ii) under the heading "Members", serial No. 4 and the entry relating thereto shall be omitted.

[No. F. 2/13/73-CUC]
B. N. JAYASIMHA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 जून, 1975

का० प्रा० 261(अ)/15/आई०डी०आर०ए०/75.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 551 (ई)/1515/आई०डी०आर०ए०/73, तारीख 17 अक्टूबर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त आदेश में,—

- (i) अष्टाक्ष शीर्षक के अधीन, क्रम सं 1 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० रखी जाएगी, अर्थात् :—

“श्री के० एन० रामस्वामी, औद्योगिक सलाहकार तकनीकी विकास महा-निदेशालय, नई दिल्ली।”

- (ii) “सदस्य गण” शीर्षक के अधीन, क्रम० सं० 4 और उस से सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप हो जाएगा।

[सं० फा० 2/13/73—सं० यू० सं०]

बी० एन० जयसिंह, संयुक्त सचिव।